राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स निर्देशिका

विधिक सेवा संस्थान

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण:–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर व प्रशासनिक कार्यालय जोधपुर एवं जयपुर में है। प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति होते हैं एवं कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधिपति होते हैं। इसके विभागाध्यक्ष सदस्य सचिव होता हैं जो कि राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी होता हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व नियंत्रण में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समिति कार्य करती हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण:–

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष, संबंधित जिले के जिला एवं सैशन न्यायाधीश होता हैं व सचिव, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कैडर का अधिकारी होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व नियत्रंण में समस्त तालुका विधिक सेवा समिति कार्य करती हैं।

तालुका विधिक सेवा समिति :–

राजस्थान के सभी जिलों के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर तालुका विधिक सेवा समिति गठित है जिनके अध्यक्ष तालुका मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी होता हैं व सचिव मंत्रालयिक कर्मचारी होता है।

1 एस.एल.एस.ए. (राज्य स्तर पर)
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

2 एच.सी.एल.एस.सी. (उच्च न्या. स्तर)
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

36 डी.एल.एस.ए. (जिला स्तर पर)
जिला विधिक सवा प्राधिकरण

181 टी.एल.एस.सी. (तालुका सतर पर)
तालुका विधिक सेवा समिति

निःशुल्क विधिक सेवा

विधिक सेवा क्या है?

विधिक सेवा से तात्पर्य – किसी विवाद के सम्बन्ध में चाहे किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में लंबित हो अथवा नही हो या अन्य किसी विधिक कार्यवाही के संचालन हेतु किसी पात्र व्यक्ति को विधिक सलाह प्रदान करने एवं मामले की पैरवी हेतु अधिवक्ता की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाना है। विधिक सेवा में वाद की कार्यवाही सम्बन्धी खर्चे (न्याय शुल्क के अतिरिक्त), कानूनी कार्यवाहियों में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करवाना, दस्तावेजों के मुद्रण और अनुवाद सहित पेपर बुक तैयार करवाना भी शामिल है।

1. विधिक सहायता कौन प्राप्त कर सकता है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं–

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य।
- मानव दुर्व्यापार या बेगार से पीड़ित व्यक्ति।
- महिला या बच्चा।
- दिव्यांगजन।
- अभिरक्षा में निरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति।
- घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकम्प आदि से पीड़ित व्यक्ति।
- औद्योगिक कर्मकार।
- अनैतिक व्यापार के पीड़ित व्यक्ति।
- ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 3,00,000/– रूपये से कम हो।

2. विधिक सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया

- यदि व्यक्ति केवल सलाह लेना चाहते हैं, तो स्थानीय तालुका विधिक सेवा समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं।
- यदि किसी कार्यवाही हेतु विधिक सेवा चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय को अथवा स्थानीय तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन

विधिक सेवाओं के लिए आवेदन मौखिक/हिन्दी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में लिखित ई–मेल/ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत

- आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है।

- शपथ–पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

- शपथ–पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

5. आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरे का परिणाम

आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण रीति द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई है तो उसे सूचित किया जाएगा। उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्थान द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

प्रो–बोनो सेवाएं

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालयों में निःशुल्क विधिक सेवा देने के इच्छुक अधिवक्तागण के पैनल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो यद्यपि धारा 12, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, लेकिन जिन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें प्रो–बोनो पैनल अधिवक्तागण के माध्यम् से विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनल अधिवक्तागण

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक विधि से संघर्षरत बालक को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने हेतु राजस्थान के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड हेतु समर्पित पैनल का गठन किया गया है, जो किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक बालक का, प्राधिकरण की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं।

विधिक सेवा हेतु फार्म कहां जमा करवाया जाए

क्र.सं.	निःशुल्क सलाह एवं सहायता कहां चाहिए?	आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का स्थान
1.	तालुका स्तर पर	सम्बन्धित अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति
2.	जिला स्तर पर	सम्बन्धित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
3.	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच स्तर पर	सम्बन्धित सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर

आवेदन का प्रारूप

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,...............

विधिक सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र

प्रकरणः सिविल/फौजदारी/अन्य

(विधिक सहायता हेतु आवेदन सम्बन्धित DLSA/TLSC को प्रेषित किया जाए, जो रोस्टर के अनुसार प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अधिवक्ता नियुक्ति करेगा)

(आवेदक द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की फीस व खर्चे का भुगतान नहीं किया जाएगा)

प्रार्थी की पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पता :
3. मोबाईल एवं ई–मेल आई डी. :
4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा–12 में वर्णित व्यक्तियों के प्रवर्ग से हैं
5. आवेदक का आधार नम्बर/वोटर : कार्ड नम्बर/अन्य पहचान पत्र का नं.
6. आवेदक की मासिक आय एवं आय का स्त्रोत :
7. क्या अधिनियम की धारा–12 के अधीन आय/पात्रता के समर्थन में शपथ–पत्र/सबूत दिया गया है :
8. चाही गई विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति :
9. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवा अपेक्षित हैः

   न्यायालय का नाम...

   प्रकरण संख्या...

   पुलिस थाना..

   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या....................................

   अपराध अन्तर्गत धारा...

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। मैं

निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का हकदार हूँ। वर्तमान समय में मेरे प्रकरण की पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। मैं बिना DLSA की सहमति के अन्य अधिवक्ता नियुक्त नहीं करूंगा।

स्थानः–   आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः–

नोट– 1. इस प्रार्थना–पत्र के साथ जाति–प्रमाण/आय प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र के अभाव में अपनी आय बाबत् अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

2. इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करें।

प्रार्थना पत्र अग्रेषणकर्त्ता प्राधिकारीः

उक्त जानकारी आवेदक द्वारा दी गई है और यह प्रकरण सं. ....पेशी दि.. को न्यायालय में लम्बित है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में या मुकदमेबाजी से पहले के स्तर **''प्री–लिटिगेशन स्तर''** पर आपसी समझौता वार्ता से निपटाया जाता है।

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अन्तर्गत लोक अदालत को विधिक दर्जा दिया गया है। राजस्थान प्रदेश में प्रत्येक तालुका, जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर पर लोक अदालतें गठित की जाती है। प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत एवं अन्य लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
- लोक अदालत के निर्णय को दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है, जो अन्तिम होता है। इसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्णीत प्रकरणों की कोर्ट फीस भी पूर्णतः वापिस हो जाती है।
- लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले– वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी प्रकरण, दीवानी प्रकरण, फौजदारी राजीनामा योग्य मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, बैंक वसूली मामले, पेंशन संबंधी मामले, आवास तथा कच्वी बस्ती सुधार मामले इत्यादि।
- लोक अदालत में प्री–लिटीगेशन विवाद को भी निस्तारित करवाया जा सकता है।

स्थाई लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी के तहत जनोपयोगी सेवा जैसे– वायु, सड़क, रेल या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल वाहन के लिए यात्रा सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा या ऐसी संस्था जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल प्रदाय करते हैं या सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएं, बीमा सेवाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय पर स्थायी लोक अदालत गठित है।

स्थायी लोक अदालत द्वारा उपरोक्त वर्णित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का आपसी समझाईश से निपटारा करवाया जाता है, समझौता

नहीं होने की दशा में पक्षकारों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामले का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निर्णय किया जाता है। ऐसा निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री की भांति पालना योग्य होता है।

स्थाई लोक अदालत की उपयोगिता–

स्थाई लोक अदालत में विवादों का निर्णय सहज, त्वरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर होता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन सामान्य आवेदन पत्र की तरह प्रस्तुत किया जाता है। अधिवक्ता की अनिवार्यता नहीं होती है, आवेदन के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है, अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

लोक अदालत में प्रकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन–पत्र

न्यायालय का नाम..

प्रकरण का शीर्षक..

प्रार्थी का नाम..

प्रार्थी का पता..

मोबाइल नम्बर..

प्रकरण में आगामी / विगत पेशी दिनांक..

प्रार्थी के अधिवक्ता का नाम..

अप्रार्थी का नाम..

अप्रार्थी का पता..

मोबाइल नम्बर..

अप्रार्थी के अधिवक्ता का नाम..

मोबाइल नम्बर..

(प्रार्थी का हस्ताक्षर)

1. वैवाहिक / दाम्पत्य अधिकारों, या
2. सम्पत्ति या किसी अन्य सिविल अधिकारों, या
3. ऐसे अपराधिक मामले जो कानूनन राजीनामा योग्य हैं, तो उन्हें मध्यस्थता कानून के माध्यम से निर्णीत करवाया जा सकता है।

कोई भी न्यायालय, लम्बित मुकदमे में पक्षकारों की आपसी सहमति / समझौते की सम्भावना महसूस करता है, तो ऐसे मुकदमे को पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निर्णीत करवाने के उद्‌देश्य से मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जा सकता है।

मध्यस्थता (Mediation) क्या है?

मध्यस्थता एक ऐसी सहज एवं सरल प्रक्रिया है, जिसमें मध्यस्थ (Mediator) मामले के दोनों पक्षकारों से वार्ता करके, दोनों पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद को, पक्षकारों की ही सहमति से निर्णित करवाने का प्रयास करता है, ताकि विवाद का पूर्ण एवं अन्तिम रूप से समाधान हो जाए और किसी भी पक्षकार को ऐसे विवाद के सम्बन्ध में अन्य न्यायालयों में अपील आदि की कार्यवाही नहीं करनी पड़े।

मध्यस्थ (Mediator) कौन होते हैं?

सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश या योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ता या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ, जो न्यायालय की दृष्टि में मामले की प्रकृति के अनुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त हो।

मध्यस्थता प्रक्रिया से क्या लाभ है?

1. समय की बचत–तकनीकी न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायालयों में लम्बित अत्यधिक मुकदमों के परिणामस्वरूप निर्णय में लगने वाले दीर्घ समय से छुटकारा, क्योंकि ''मध्यस्थता प्रक्रिया'' सीमित समयावधि में अर्थात् सामान्यतः 60 दिवस एवं अधिकतम 90 दिवस में ही सम्पन्न करने की बाध्यता होती है।
2. सहज एवं सरल प्रक्रिया– न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही में पक्षकारों को न्यायालय द्वारा नियत की गयी तारीख पेशियों पर ही उपस्थित होने एवं निश्चित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही मुकदमों की कार्यवाही को संचालित करने की बाध्यता होती है, अर्थात् कई औपचारिक एवं

अनिवार्य बाध्यताओं के परिणामस्वरूप पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने, अपनी साक्ष्य आदि पेश करने में कठिनाईयां आती है तथा अन्य परोक्ष एवं अपरोक्ष कारणों से मुकदमों के निर्णय में कई साल लग जाते हैं, जबकि मध्यस्थता प्रक्रिया के अन्तर्गत मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति एवं सुझावों के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया की कार्यवाही हेतु बैठक का स्थान एवं समय आपसी सहमति से निर्धारित कर सकते हैं।

3. गोपनीयता— मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों एवं मध्यस्थ के मध्य हुई समस्त कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रहती है तथा निर्णय पर एकमत/सहमत नहीं होने की सूरत में किसी भी प्रकार से उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान उजागर तथ्य, वार्ता आदि किसी भी अन्य कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही में सबूत के रूप में पेश नहीं की जा सकती है।

4. विवाद का अन्तिम रूप से समापन— मध्यस्थता के जरिए निर्णीत करवाये गये मामलों का अन्तिम रूप से समाधान हो जाता है, क्योंकि ऐसा निर्णय दोनों पक्षकारों की सहमति से होता है। इसी कारण कोई पक्ष उस निर्णय के विरूद्ध अपील या अन्य कार्यवाही हेतु अग्रसर नहीं होता है, अर्थात् अग्रिम मुकदमेबाजी की सम्भावनाओं का अन्त हो जाता है।

मध्यस्थता प्रक्रिया हेतु आवेदन कैसे करें?

धारा 89 द. प्र. सं. के अनुसार स्वयं न्यायालय ही मध्यस्थता प्रक्रिया हेतु उपयुक्त मामलों की पहचान करके पक्षकारों को इस कार्यवाही हेतु प्रेरित करता है। किसी मुकदमे का कोई भी पक्षकार जो मध्यस्थता प्रक्रिया की कार्यवाही अपनाना चाहता है, वह न्यायालय से मौखिक या लिखित में स्वयं या अपने प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

मध्यस्थता प्रक्रिया का क्या महत्त्व है?

मध्यस्थ द्वारा उभय पक्षों की सहमति के आधार पर विवाद के सम्बन्ध में जो समझौता/शर्तें तय होती हैं, उनको दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है, जिस पर दोनों पक्षकारों या Power of Attorney Holder के हस्ताक्षर होते हैं, जिनको मध्यस्थ सत्यापित करता है तथा अग्रेषण (Covering) पत्र के साथ हस्ताक्षर कर, संबंधित न्यायालय को प्रेषित करता है।

उपरोक्त समझौता प्राप्त होने पर न्यायालय पक्षकारों को नोटिस प्रेषित कर न्यायालय में उपस्थिति हेतु सूचित करता है तथा उसके उपरांत उपरोक्त समझौते को न्यायालय रिकॉर्ड पर लेता है जिसके आधार पर डिक्री पारित की जाती है।

मध्यस्थता हेतु रैफरल आदेश का प्रारूप

न्यायालय में सुनवाई की आगामी तारीख :

रैफरल न्यायाधीश का नाम एवं मोहर :

वाद संख्या / केस संख्या :

पक्षकारों के नाम :..

बनाम

....

प्रकरण दर्ज होने की दिनांक :...

वाद की प्रकृति / सारांश :...

रैफर करते समय प्रकरण की स्टेज :...

रैफर करने की तारीख पर कुल कितनी सुनवाई हुई उनकी संख्या :.......................

पत्रावली के अवलोकन एवं उभय पक्ष से वार्ता के पश्चात् इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौते के तत्व विद्यमान है अतः मध्यस्थता के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय श्री / सुश्री / श्रीमती :... को संदर्भित विवाद में मध्यस्थ नियुक्त करता है।

मध्यस्थता की समस्त कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की होगी। पक्षकारान का यह दायित्व है कि वे मध्यस्थता की कार्यवाही में सद्भावनापूर्ण शिरकत करें।

मध्यस्थ का मुख्य दायित्व गलतफहमियों को यथा कम करने, विवाद के बिन्दुओं को चिन्हित करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, सहमति एवं समझौते के क्षेत्र का पता लगाने, न्यायालय में विचाराधीन विवाद के बिन्दुओं या विषयवस्तु से हटकर भी संपूर्ण विवाद के स्थायी समाधान की प्रक्रिया व प्रयास को सरल और सुगम बनाने में सम्बद्ध है। स्वैच्छिक रूप से सहमति का अधिकार केवल सम्बन्धित पक्षकारों को है।

पक्षकारान् स्वयं या अधिवक्ताओं के साथ मध्यस्थ के समक्ष अपना कथन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज या अन्य सुसंगत सामग्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पक्षकारान और उनके अधिवक्ता, मध्यस्थता केन्द्र पर दिनांक.................. बजे प्रातः/अपरान्ह उपस्थित होगें। यदि निर्धारित तारीख पर सहमति नहीं बन पाती है तो मध्यस्थता केन्द्र पर पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तारीख दी जा सकेगी जो सामान्य परिस्थितियों में दो माह व न्यायालय की अनुमति से कुल 90 दिन से अधिक नहीं होगी।

पक्षकारों के बीच सहमति न हो पाने की सूरत में पक्षकार, उनके अधिवक्ता या मध्यस्थ मौखिक या लिखित रूप में उसके कारण या परिस्थितियों से न्यायालय को अवगत नहीं करायेंगे अपितु मध्यस्थ केवल सहमति न होने के तथ्य की एक पंक्ति में रिपोर्ट रैफरल जज को प्रेषित करेगा।

पक्षकारों के मध्य सहमति हो जाने पर सभी शर्तें लिखित में दर्ज की जायेंगी, जिन पर पक्षकारों अपने हस्ताक्षर करेंगे और अधिवक्तागण सत्यापित करेंगें। करार किया गया समधाता विलेख (Settlement Deed) मध्यस्थ द्वारा अग्रेषण पत्र के साथ रैफरल जज को प्रस्तुत किया जायेगा।

अपराध से पीड़ित को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) व पुनर्वास हेतु राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने एक कोष का गठन किया है, जिसके द्वारा समाज में अपराध के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को निर्धारित सहायता राशि व उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के अनुसार–

पीडित कौन है?

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और उसे पुनर्वास की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति पीडित में उसके आश्रित भी सम्मिलित है।

आवेदन कौन करेगा?

पीड़ित या उसका आश्रित आवेदन कर सकते है।

आवेदन कहां होगा?

संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाएगा, लेकिन ऐसा आवेदन अपराध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर करेंगे।

किसे सहायता राशि मिलेगी?

- ऐसे व्यक्ति जिन पर किये गये अपराध के परिणामस्वरूप कुटुम्ब की आय की हानि पहुंची है एवं वित्तीय सहायता के बिना उनका गुजारा कठिन हो गया है।
- जो पीड़ित अपनी आय से अधिक चिकित्सा पर खर्च कर चुका है।
- जहां अपराधी की पहचान नहीं है, लेकिन पीडित व्यक्ति ज्ञात है।

आवेदन कहां करे?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पीड़ित/आश्रित व्यक्ति प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सम्पर्क कहां करे?

अधिक जानकारी हेतु तालुका विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पर सम्पर्क करें।

आवेदन की परिसीमा–

पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा आवेदन अपराध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या यथास्थित, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है तो कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, आवेदन फाईल करने में विलम्ब को माफ कर सकेगा।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना-2011 के तहत प्रतिकर राशि

(नियम–5(8))

क्र. सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/–
	जीवन हानि (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/–
2	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/–
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/–
3	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 80,000/–
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 50,000/–
4	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है	रु. 25,000/–
5	अवयस्क के साथ बलात्संग	रु. 5,00,000/–

6	बलात्संग	रु. 5,00,000 / –
7	पुनर्वास	रु. 1,00,000 / –
8	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरुपयोग और व्यपहरण जैसे मामले में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों की गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानी या कोई क्षति हुई है।	रु. 25,000 / –
9	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	रु. 20,000 / –
10	अम्ल (एसिड) हमले का पीड़ित	रु. 3,00,000 / –
11	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000 / –
	(ख) गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000 / –
	(ग) लैंगिक हमला	रु. 1,00,000 / –
	(घ) गुरुत्तर लैंगिक हमला	रु. 2,00,000 / –
	(ड़) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग	रु. 1,00,000 / –
अंतरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय संदेय होंगे–		
	(I) दाह संस्कार व्यय	रु. 10,000 / –
	(II) चिकित्सा व्यय	रु. 25,000 / – तकं
	(III) बालक की दशा में अंतरिम सहायता	प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत
	(IV) वयस्क की दशा में अंतरिम सहायता	प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत
नोट– ऐसे प्रकरण जिनमें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रतिकर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।		

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन

श्रीमान, अध्यक्ष महोदय

जिला वि.से.प्रा., ...

1. आवेदक (चोटग्रस्त/आश्रित मृतक की स्थिति में) का नाम व पिता/पति का नाम :–

2. पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर :–

3. एफ.आई.आर. संख्या तथा धाराएं, जिनके तहत प्रकरण दर्ज हुआ है तथा पुलिस थाना:–

4. क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम व दर्ज प्रकरण संख्या:–

5. घटना का संक्षिप्त विवरण:–

6. आवेदक/आश्रितगण को हुई क्षति का विवरण (समर्थन में चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें):–

A – चिकित्सा व्यय:–

B – दाह संस्कार इत्यादि में व्यय:–

C – स्थायी अपंगता का प्रतिशत एवं उसके कारण क्षति:–

D – शारीरिक एवं मानसिक वेदना:–

E – पुनर्वास व्यय:–

F – अन्य :–

G – योग :–

अतः निवेदन है कि प्रार्थी को प्रतिकर स्वरूप रू. .... दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

<u>वचन पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री ....

जाति .... आयु ....साल
निवासी ....का
हूं तथा सशपथ वचन देता/देती हूं कि :–

1. मैं राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के बिन्दु सं. 4 के तहत प्रतिकर प्राप्त करने के लिए पात्रता रखता/रखती हूं।

2. मुझे केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन क्षति के लिए प्रतिकर नहीं दिया गया है।

3. उक्त घटना के कारण उठायी गई हानि/क्षति से मेरे कुटुम्ब की आय को हानि हुई है। वित्तीय सहायता के बिना परिवार का गुजारा होना कठिन हो गया है।

4. मैं, मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करूंगा/करूंगी।

5. यदि विचारण न्यायालय किसी पश्चातवर्ती तारीख पर निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्तियों को संहिता की धारा 357 की उप धारा (3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदाय करने का आदेश करता है तो मैं रकम के समतुल्य आदिष्ट किसी रकम या संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन संदत्त की जाने वाली आदिष्ट रकम, इनमें से जो भी कम हो का परिहार करूंगा/करूंगी।

6. मैं, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में वर्णित बिन्दुओं/शर्तों की पालना करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, ... घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त वचनपत्र में वर्णित बिन्दु सं. 1 ता 6 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी एवम विश्वास से सही है। कोई तथ्य गलत अंकित नहीं किया है एवं न ही कोई तथ्य छिपाया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

घोषणाकर्ता

श्रीमान् अध्यक्ष / सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,............(राज0)

शपथ–पत्र

मैं ....

पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री ....

आयु .... जाति .... निवासी ....

....

.... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. न्यायालय .... में प्रकरण सं. ....

उनवान .... अन्तर्गत धारा ....

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : ...., पुलिस थाना ....

.... में मैनें राज्य सरकार की किसी स्कीम तथा जिला कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि प्राप्त नहीं की है।

3. मेरी समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय ....रूपये है।

4. मैंने पूर्व में कभी पीडित प्रतिकर सहायता राशि प्राप्त नही की है।

5. उक्त प्रकरण में मैने विरोधी पक्ष से कोई खर्चा मुकदमा प्राप्त नही किया है एवं न ही न्यायालय से इस बाबत कोई आदेश जारी हुआ है।

स्थान :–

दिनांक :– **शपथकर्त्ता**

सत्यापन

मैं ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की चरण सं. 1 ता. 5 में अंकित तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही है। कोई तथ्य छिपाया नही गया है तथा न ही कोई तथ्य गलत अंकित किया गया है।

स्थान :–

दिनांकः–

शपथकर्त्ता

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

जिला............................ (राज.)

विषय : पीड़ित प्रतिकर के तहत स्वीकृत राशि अंतरिम प्रतिकर राशि बैंक खाते में जमा कराने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त आवेदन में मुझे पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत स्वीकृत अंतरिम प्रतिकर राशि मेरे बैंक खाता संख्या .... Bank .... Branch .... आई.एफ. एस.सी. कोड .... में जमा करवाने की कृपा करें। मेरे उक्त बैंक खाते की पासबुक की फोटोप्रति संलग्न है।

दिनांक : ....

संलग्नः.........................

प्रार्थी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाएं

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ कमजोर वर्गों को मिल सके इस हेतु सर्वाधिक प्रभावी एवं मित्तव्ययी योजनाएँ बनाने के लिए वचनबद्ध है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, निरक्षर एंव उपेक्षित वर्ग के कल्याण हेतु कुल 10 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1. नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएँ) योजना, 2010

इस योजना का उद्देश्य ऐसे आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है जो जन आपदा, जातिय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा के पीड़ित हैं।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

पीड़ितों को सरकारी तथा गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध करवाना तथा राहत सामग्री के वितरण का सर्वेक्षण करना, परिवार के सदस्यों को पुनः मिलवाने के कार्य का पर्यवेक्षण करना व बीमा पॉलीसी संबंधित समस्याओं का निदान करना इत्यादि।

2. नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध व्यापार के पीडितों को प्रत्येक स्तर पर रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना व विधिक सहायता प्रदान करना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

कानूनी सहायता, परामर्श, संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना व कामगारों की पहचान कराना, उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना व लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

असंगठित कामगारों की पहचान, सरकारी योजनाओं के जागरूकता कार्यक्रम, विधिक साक्षरता शिविर, पैरा लीगल वॉलियन्टर के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, कानूनी सहायता व कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

4. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

उद्देश्य–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर बच्चों को सार्थक, प्रभावी, उपयोगी एवं आयु संगत विधिक सहायता प्रदान करना है।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

किशोर न्याय अधिनियम में अनुज्ञात विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना। सम्प्रेषण गृह व आश्रय गृहों की स्थापना व उपयुक्त देख–रेख व सुविधाएँ सुनिश्चित करना। बालकों के लिए विधिक सेवा क्लिनिक्स की स्थापना करना व विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

इस योजना का मूल उद्देश्य मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करना व गरिमापूर्ण जीवन, विधिक अधिकारों का संरक्षण, शोषण व उत्पीड़न से रोकथाम करना है।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

बेसहारा, बेघर एवं निःसहाय तथा मानसिक अशक्ताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना। मनोचिकित्सालय भवनों और ऐसे सुविधा केन्द्रों का निरीक्षण व विधिक सेवा क्लिनिक्स की स्थापना तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

6. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए गरीबी उन्मूलन योजनाओं, लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना एवं विधिक सहायता प्रदान करना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन योजनाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहुंच उक्त योजनाओं तक सुनिश्चित करना व उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना तथा शिकायतों पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करना।

7. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन जातियों की विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ प्रदान करना। विधिक साक्षरता क्लबों की स्थापना करना।

8. नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएँ एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

इस योजना के मुख्य उद्देश्य विधिक प्रावधानों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थों के दुष्प्रभावों के विषय में आम जन में जागरूकता फैलाना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

विशेष इकाईयों की स्थापना करना, विद्यमान नीतियों, योजनाओं, विनियमों, निर्देशों, उद्घोषणाओं तथा अभिलेखों का डाटाबेस तैयार करना। अवैध पौधों का नष्टीकरण व विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, ड्रग दुरूपयोग के पीड़ितों हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

9. नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2016

वरिष्ठ नागरिकों के मूल अधिकारों व लाभों को रेखांकित करना व उन्हें कानूनी सहायता तथा प्रतिनिधित्व प्रदान करने सहित विभिन्न सरकारी योजना एवं कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों की पहचान कर संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से समाधान करना। नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी को वरिष्ठ नागरिकों के बीच प्रसारित करना, जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

10. नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसिड हमलों के पीड़ितों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तरों पर क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मौजूदा विधिक प्रावधानों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ–

ऐसिड हमलों के पीड़ितों से संबंधित वर्तमान केन्द्रीय व राज्य योजनाओं का डाटाबेस तैयार करना तथा उनका प्रचार–प्रसार करना, जागरूकता व संवेदनशीलता कार्यक्रम तैयार करना व संबंधित योजनाओं का लाभ ऐसिड हमला पीड़ितों हेतु तत्काल उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा ऐसिड की बिक्री को प्रतिबंधित करवाना, प्रशिक्षण व प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता शिविर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य को उनके विधिक अधिकारों, दायित्वों एवं विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों, जेलों, आश्रय गृहों इत्यादि स्थानों पर विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि आमजन को उनके अधिकारों व दायित्वों की जानकारी प्रदान की जा सके व प्राप्त करने का माध्यम प्रदान किया जा सके।

विधिक सेवा शिविर

नालसा (विधिक सेवा शिविर) मॉडल स्कीम के तहत विधिक सेवा शिविरों का आयोजन रालसा द्वारा निर्देशित मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना के स्थान पर विधिक सेवा शिविर के नाम से बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा शिविरों के आयोजन से पूर्व की जाने वाली तैयारियों में शिविर का स्थान, दिनांक, थीम, राजकीय विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित किया जाता है। इस हेतु संबंधित विभाग, स्टेकहोल्डर्स, पी.एल.वी एवं एन.जी.ओ. का सहयोग लिया जाता है।

विशेष अभियान

समाज के कमजोर, शोषित व हाशिए के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विशेष अभियान जैसे– बाल विवाह रोको अभियान, कोविड के विरुद्ध अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जेल बंदियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष अभियान आदि का संचालन किया जाता है। अभियानों के संचालन में पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स गांव–गांव व ढाणी–ढाणी जाकर आमजन को न्याय दिलाने के लिए अभियान में निर्धारित गतिविधियों का संचालन करते हैं।

लीगल एड क्लिनिक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालयों व जेलों में लीगल एड क्लिनिक्स की स्थापना की गई है, जहां पर पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लीगल एड क्लिनिक का मुख्य कार्य आगन्तुकों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना है।

विधिक सेवा क्लिनिक (Legal Services Clinic)

राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गरीब एवं समाज के कमजोर वर्ग को तुरंत सहायता मिल सके, इसी क्रम में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पंचायत समिति मुख्यालयों पर विधिक सेवा क्लिनिक खोले गए हैं।

विधिक सहायता क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं–

1. विधिक सहायता/सलाह

2. विधिक सलाह के साथ–साथ अन्य सेवाएं जैसे – महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए परि–पत्र के लिए आवेदन करना, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदाधारियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लिनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाओं का भी भाग होगा।

विधिक सहायता क्लिनिकों में पी.एल.वी. के कार्य–

1. विधिक सहायता क्लिनिकों में नियुक्त पी.एल.वी. विधिक सलाह या सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को सलाह/सहायता प्रदान करेंगे। आवेदन पत्र अभ्यावेदन या सूचनाओं के प्रारूपण में, सरकारी स्कीम के अधीन उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन प्रारूपों को भरने में सहायता देंगे।
2. यदि आवश्यक हो तो, विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्यालयों में पदधारियों के साथ सम्पर्क करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए जाएंगे।
3. यदि विधिक सहायता क्लिनिक पर किसी वकील की सेवाओं की आवश्यकता है तो बिना किसी विलम्ब के निकटतम विधिक सेवा संस्थान से किसी वकील की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सम्पर्क करेंगे।
4. आपात दशा में विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को निकटतम विधिक सेवा संस्था ले जाएंगे।
5. विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों को

विधिक शिक्षा और साक्षरता की सहायता में पुस्तिका और अन्य सामग्री वितरित करेंगे।

6. विधिक सहायता क्लिनिकों के स्थानीय क्षेत्र में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

विधिक सहायता केन्द्र (Legal Assistance Centre)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधिक सहायता केन्द्रों की स्थापना 9 जिलों (बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, धैलपुर, करौली, प्रतापगढ़, सिरोही) की 52 पंचायत समितियों में की गई है, जहां निम्न प्रकार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है–

विधिक सहायता केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं–

1. विधिक सेवा लाभार्थी और विधिक सेवा अधिवक्ता के मध्य बातचीत करवाना।
2. विधिक सेवा लाभार्थी को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से किसी प्रकार की विधिक सहायता लेना चाहते हैं।
3. वीडियो / टेलीफोन कॉल के माध्यम से विधिक सलाह उपलब्ध कराना।
4. विधिक जागरूकता।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत और मध्यस्थता की सेवाएं उपलब्ध कराने या किसी न्यायिक कार्यवाही की सुविधा।
6. विधिक सहायता केस की वर्तमान स्थिति बताना।
7. अन्य किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण......................

क्र.स.	लाभार्थी का नाम	पता	दूरभाष	चाही गई सेवा							की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
				विधिक जागरूकता	विधिक सेवा अधिवक्ता से बातचीत	विधिक सहायता केस की वर्तमान स्थिति	किसी भी प्रकार की विधिक सहायता	उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से किसी प्रकार की विधिक सहायता	वीडियो/ टेलीफोन कॉल के माध्यम से विधिक सलाह	वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत और मध्यस्थता की सेवाएं		

"Support2Surviours" योजना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बलात्कार पीड़ितों को सम्बल प्रदान करने हेतु "Support2Surviours" योजना सम्पूर्ण राजस्थान में लागू की गई है।

योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

1. अनुसंधान स्तर पर विधिक सहायता।
2. चिकित्सकीय सहायता।
3. पीड़ित को प्रतिकर।
4. मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सम्बल (साइको–सोशल सपोर्ट)।
5. पुनर्वास।
6. गवाहों को संरक्षण।
7. विचारण के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता।

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर्स का प्रारूप

आगन्तुक रजिस्टर

माह

क्र.सं.	दिनांक	आगन्तुक का नाम व पता	समस्या	की गई कार्यवाही	टिप्पणी

विधिक सहायता हेल्पलाइन रजिस्टर

क्र.सं.	फोन करने वाले का नाम, पता फोन नं.	फोन की दिनांक व समय	समस्या	की गई कार्यवाही / दी गई सलाह	टिप्पणी

विधिक सहायता (निगरानी) रजिस्टर

दिनांक

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	अधिवक्ता का नाम	पक्षकार का नाम जिसे विधिक सहायता दी गई है	पूर्व दिनांक	आगामी दिनांक	प्रकरण के स्थगन का उद्‌देश्य

Notes

Notes

Notes

रालसा की प्रशासनिक संरचना

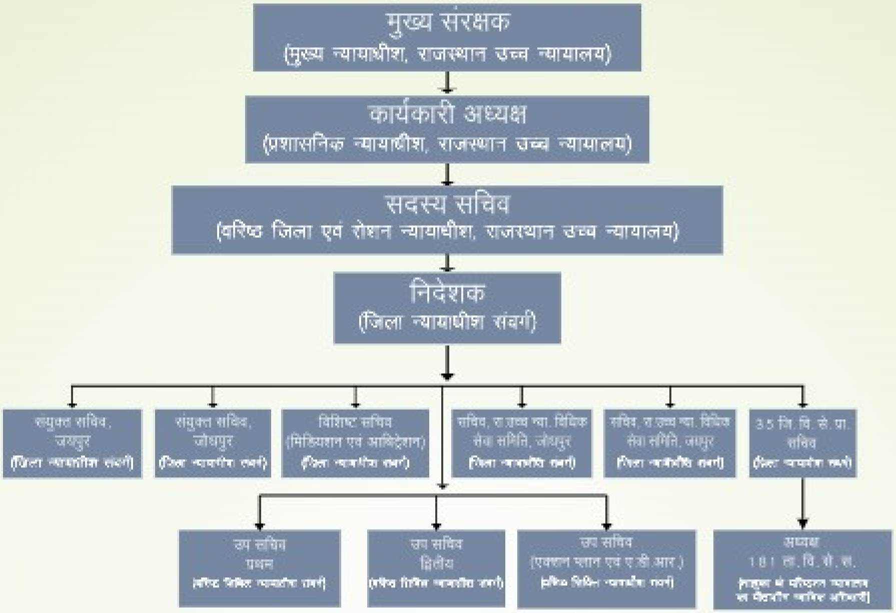

हेल्पलाइन नम्बर

अजमेर : 8306002101	अलवर : 8306002102
बालोतरा : 8306002103	बांसवाड़ा : 8306002104
बारां : 8306002105	भरतपुर : 8306002106
भीलवाड़ा : 8306002107	बीकानेर : 8306002108
बूंदी : 8306002109	चूरू : 8306002110
चित्तौड़गढ़ : 8306002112	दौसा : 8306002114
धौलपुर : 8306002115	डूंगरपुर : 8306002116
हनुमानगढ़ : 8306002118	जयपुर मेट्रो I : 8306002119
जयपुर मेट्रो II : 8306008220	जयपुर जिला : 8306002120
जैसलमेर : 8306002123	जालोर : 8306002126
झालावाड़ : 8306002127	झुंझुनूं : 8306002128
जोधपुर मेट्रो : 8306002021	जोधपुर जिला : 8306002129
करौली : 8306002130	कोटा : 8306002131
मेड़ता सिटी : 8306002132	पाली : 8306002166
प्रतापगढ़ : 8306002134	राजसमंद : 8306002135
सवाई माधोपुर : 8306002136	सीकर : 8306002137
सिरोही : 8306002138	श्री गंगानगर : 8306002117
टोंक : 8306002139	उदयपुर : 8306002022

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

हेल्प लाइन नम्बर : 15100, 9928900900 | website : www.rlsa.gov.in

फॉलो करें : rslsa.rajasthan @LeglAidRajsthan legalaidrajasthan